

प्रपत्र-44

परियोजना का नाम— जनपद चमोली की बद्रीनाथ विधान सभा के अन्तर्गत पोखरी (ग्राम उदयपुर एवं ग्राम सिनाऊ तल्ला मल्ला) में राजकीय पॉलीटेक्निक पोखरी, चमोली के निर्माण हेतु कुल रकवा 0.964 हे० अर्थात् 2.3815 एकड़ वन भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आर०सी०सी० पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

क्र० सं०	कार्य का नाम	इकाई / सं०	नपत मीटर में			मात्रा	इकाई	दर(रु० में)	धनराशि
			लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई				
1	आर०सी०सी०पिलर निर्माण हेतु बुनियाद खोदना								
2	आर०सी०सी०पिलर के बेस पर चूना व कोयला डालना								
3	1:2:4सीमेन्ट मसाले में आर०सी०सी०पिलर निर्माण								
4	आर०सी०सी० कार्य हेतु सरिया क्रय करना								
5	थपलर में 1:4 मसाले प्लास्टर कार्य								
6	पिलर पर पिलर संख्या आदि लिखना								
7	पनी की ढुलाई आदि								
	कुल योग								

ह०

उप वन संरक्षक
प्रभागीय वनाधिकारी
कैदरनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

नोट:— उक्त प्रमाण-पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तैयार कर निर्गत किया जायेगा। प्रकरण विशेष की परिस्थिति के अनुसार उक्त प्राक्कलन के प्रारूप में यथाआवश्यक संशोधन किये जा सकते हैं।

उ० प्र० व०
गोबर (गोपेश्वर)